

दिनांक—22.08.2012 को विशेष सचिव जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में संपन्न मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के कार्यों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति संलग्न।

पिछली समीक्षात्मक बैठक जो दिनांक—06.07.2012 को हुयी थी में दिये गये निदेशों के अनुपालन की स्थिति पर चर्चा से प्रारंभ हुयी।

विभागीय पत्रांक—501 दिनांक 04.08.2012 द्वारा इस बैठक के लिए निम्नलिखित निदेश भी दिये गये थे :—

- (i) क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा Power Point Presentation संलग्न प्रपत्र में किया जायेगा।
- (ii) प्रत्येक कार्यपालक अभियंता द्वारा Power Point Presentation संलग्न प्रपत्र में किया जायेगा।
- (iii) धनकार्ड जलाशय के संबंध में पूर्ण विवरणी भी लायी जाये।

उपरोक्त के आलोक में स्थिति निम्नवत पायी गयी —

1. जल पथ प्रमण्डल मेदिनीनगर

इस प्रमण्डल में चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के प्रथम त्रैमासिक के स्वीकृत कार्यक्रम 260.35 लाख तथा प्रदत्त आवंटन 156.0 लाख के विरुद्ध अभी भी व्यय शून्य पाया गया। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बतलाया गया कि उत्तर कोयल दाँयी मुख्य नहर से निस्सृत वितरणियों के कार्यों के लिये ही 156.00 लाख आवंटन दिया गया है तथा प्रधिकांश कार्यों में अंतिम विपत्र तैयार किया जाना है जो तभी संभव है जब कराये गये कार्यों का अंतिम रूप से प्रत्येक दृष्टिकोण से गुणवत्ता एवं मात्रा का सत्यापन हो जाये। कार्यपालक अभियंता द्वारा बतलाया गया कि वर्षांत्रितु के बाद ही यह कार्य संभव है।

इन वितरणियों में कुछ संरचनाओं एवं मिट्टी कार्य का कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। इनकी स्थिति इस प्रकार पायी गयी।

- (i) Aquaduct at chain 41.00 of Parta Minor with Earth Filling — निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।

कार्यपालक अभियंता द्वारा बतलाया गया कि 20 सितम्बर 2012 तक कार्यदेश निर्गत कर दिया जायेगा।

- (ii) Construction of Pokharhi Sub-distributary from 6740 mt. upto end with its structures — अभी प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है।

कार्यपालक अभियंता द्वारा बतलाया गया कि वर्षा ऋतु समाप्त होते ही सर्वेक्षण कर इसका प्राक्कलन तैयार किया जायेगा।

- (iii) लोध फाल सिंचार्ड योजना का विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु सर्वेक्षण कार्य

इस कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति 2.50 लाख के लिये प्रदान की गयी है तथा तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमासिक हेतु कार्यक्रम स्वीकृत है।

चर्चा में यह बात सामने आयी कि इस योजना में Hydel Component भी है। अतः विभाग द्वारा इसका DPR EOI के द्वारा Consultant नियुक्त कर तैयार कराया जाये।

(iv) चाको पीरी एवं सोनरे सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन कार्य :—

इन योजनाओं का पुनर्स्थापन कार्य का प्रस्ताव प्रशासनिक स्वीकृति हेतु विभाग में क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा पृच्छा का निशाकरण नहीं किये जाने के कारण लंबित है। क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा बतलाया गया कि विभागीय पत्रांक—250 राँची दिनांक—26.02.2003 द्वारा निर्गत निर्देशों के आलोक में प्राक्कलन की जाँच असम्बद्ध प्रमण्डल द्वारा कराया जाना है जो नहीं हो सका है।

(v) सिंचाई उपलब्धि :—

इस प्रमण्डल द्वारा विभिन्न सिंचाई योजनाओं से अब तक 11,235 हेऽ० में खरीफ सिंचाई कराया जा रहा है।

निदेश :—

- (i) उत्तर कोयल मुख्य नहर के वितरणियों के चालू कार्यों का अंतिम विपत्र माह अक्टूबर 2012 तक तैयार कर लिया जाये।
- (ii) निविदा आमंत्रित किये गये कार्य का निविदा निष्पादन कर कार्यादेश 20 सितम्बर तक जारी किया जाये।
- (iii) पोखराही सबडिस्ट्रीब्यूटरी के 6740 मीटर से आगे के कार्यों का प्राक्कलन 15 अक्टूबर 2012 तक तैयार कर लिया जाये।
- (iv) लोधफाल सिंचाई योजना का DPR तैयार कराने हेतु EOI का प्रारूप दिनांक—30.09.2012 तक विभाग को उपलब्ध कराया जाये।
- (v) चाको, पीरी एवं सोनरे सिंचाई योजनाओं के प्राक्कलन पर की गयी विभागीय पृच्छा पर प्रतिवेदन विभाग को 30.09.2012 तक उपलब्ध करा दिया जाये।

2. औरंगा निर्माण प्रमंडल पाँकी।

समीक्षा के दौरान यह बात सामने आयी कि इस प्रमंडल के कार्यों की स्थिति से कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता पूरी तरह अनभिज्ञ हैं।

इस प्रमंडल के अंतर्गत अमानत बराज का निर्माण किया गया है जिसमें पूर्व में अधिष्ठापित हो चुके गेटों को बंद कर बराज के Pond formation बराज का U/S left Guide bund का कार्य 100 मीटर लंबाई में ग्रामीणों के विरोध के कारण नहीं हो पा रहा है, पर इस संबंध में भू-अर्जन की क्या स्थिति है इसकी कोई जानकारी क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा बैठक में नहीं दी जा सकी। इसी प्रकार उत्तर कोयल के बाँधी मुख्य नहर के ग्राम चेचरिया खुर्द में भू-अर्जन के संबंध में विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा बतलाया गया कि उन्हे प्रस्ताव अभी कुछ ही दिन पहले प्राप्त हुआ है। इस कार्य हेतु 18 माह का समय लगेगा। जबकि इस नहर का निर्माण लगभग पूरा हो चला है।

निर्देश :-

- (i) प्रमंडल के कार्य से संबंधित सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी पहले अपने कार्य की स्थिति से भली भांति अवगत हो लें एवं बराज के Guide Bund के कार्य को एक माह में पूर्ण कराये एवं अगली बैठक में सूचना देंगे।
- (ii) प्रमंडल के अभिलेखों को जाँचकर यह प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाये कि पूर्व में ग्राम चेचरिया खुर्द हेतु भू-अर्जन प्रस्ताव विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी को दिया गया था अथवा नहीं अगर दिया गया था तो इस पर क्या कार्रवाई हुयी और अगर नहीं दिया गया था तो इस हेतु कौन जिम्मेवार है?

(कार्रवाई—मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर)

3. कदवन बाँध प्रमंडल, नगर ऊँटारी :-

- (i) इस प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता श्री नारायण साहु द्वारा बैठक हेतु दिये गये निर्देश के अनुसार कार्यों का Power Point Presentation नहीं लाया गया था।

निर्देश

इस संबंध में कार्यपालक अभियंता कदवन बाँध प्रमंडल नगर ऊँटारी से 15 दिनों में स्पष्टीकरण पूछें।

(कार्रवाई— मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग जल संसाधन विभाग)

- (ii) डोमनीनाला सिंचाई योजना की प्रशासनिक स्वीकृति इस शर्त पर प्राप्त है कि योजना की निविदा तभी आमंत्रित की जाये जब इस योजना को भारत सरकार के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) में शामिल करने की अधिसूचना निर्गत कर दी जाये।

चर्चा में यह बात सामने आयी कि नई योजना होने के कारण इसका AIBP में शामिल होना संभव नहीं है अतः योजना को राज्य वित्त संपोषित योजना के रूप में ही स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जाये तथा इस हेतु पूर्व स्वीकृत योजना की लागत राशि को नवीनतम अनुसूचित दर के अनुसार अद्यतन कर लिया जाये।

(कार्रवाई— मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर एवं मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरि, राँची)

4. अनुसंधान प्रमण्डल गढ़वा :-

इस प्रमण्डल को निम्नलिखित सात प्रस्तावित योजनाओं का सर्वेक्षण करना है—

- (i) बेलदाहा जलाशय योजना
- (ii) सुखरा नदी जलाशय योजना
- (iii) सुगवा नदी जलाशय योजना
- (iv) गिधा नाला जलाशय योजना
- (v) अखौरी नाला जलाशय योजना
- (vi) मेन प्रखंड नाला जलाशय योजना
- (vii) जमुनिया खोट्ट नाला जलाशय योजना

लेकिन इस कार्य पर कोई प्रगति नहीं पायी गयी।

इस प्रमण्डल द्वारा कोयल नदी के तट पर 32 Nos. Crated boulder का निर्माण कार्य कटाव निरोधक कार्य के रूप में कराया जाना था जो अब तक प्रारंभ नहीं हुआ है जबकि वर्षा ऋतु समाप्ति पर है। कटाव निरोधक कार्यों को मानसून के Onset होने के पूर्व ही समाप्त कर लिया जाना चाहिये। अब नियमानुसार स्थल का पुनः अध्ययन किया जाना चाहिये।

निर्देश :-

- (i) सर्वेक्षण कार्यों पर ठोस प्रगति अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये।
- (ii) कटाव निरोधक कार्य के संबंध में नियमानुसार प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किया जाये।

(कार्रवाई — मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर)

5. रूपांकण प्रमण्डल संख्या—1, मेदिनीनगर :-

इस प्रमण्डल के अंतर्गत (1) बटाने जलाशय योजना का बाकी कार्य तथा (2) अमानत मुख्य नहर से निस्तृत वितरणियों का कार्य इस वर्ष मुख्य रूप से कराया जाना है।

(a) बटाने जलाशय योजना

क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा बतलाया गया कि विस्थापितों के मुआवजा भुगतान का कार्य पूरा नहीं होने के कारण बटाने जलाशय योजना के गेटों का अधिष्ठापन कार्य पूरा कराना जनविरोध के कारण संभव नहीं है। मुख्य अभियंता द्वारा 9.52 करोड़ रुपये की माँग विस्थापितों के भुआवजा भुगतान के लिए की गयी है जबकि बिहार सरकार से इस मद में अपने हिस्से की यथोचित राशि उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण मात्र दो करोड़ रुपये के आवंटन हेतु कार्रवाई की जा रही है।

निदेश :—

- (i) दिनांक—30.08.2012 की मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग औरंगाबाद के साथ मेदिनीनगर में प्रस्तावित बैठक में इस विन्दु पर चर्चा की जाये एवं जल संसाधन बिहार सरकार द्वारा देय राशि को यथाशीघ्र झारखण्ड सरकार को उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाये।

(कार्रवाई – मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर)

- (ii) बटाने जलाशय योजना को और कितनी राशि का आवंटन दिया जा सकता है इसकी समीक्षा बजट में प्रावधानिक राशि एवं अब तक निर्गत आवंटन के आधार पर कर लिया जाये तथा यदि विस्थापितों के मुआवजा भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि का आवंटन दिया जाना संभव हो तो इस हेतु प्रस्ताव दिया जाये।

(कार्रवाई – मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, राँची)

(b) अमानत बराज योजना

अमानत मुख्य नहर के वितरण प्रणाली का निर्माण कार्य इस प्रमंडल द्वारा कराया जाना है एवं इस हेतु 5.00 करोड़ रुपये का कार्यक्रम इस प्रमंडल के लिये इस प्रकार स्वीकृत है।

Earth work & Structure of Distribution System of Auranga Right Main Canal -500.00 Lakh (E.x. RD 105.30L of ARMC Sikki Distributary 0.00 to 54.00 RD and Ex. RD 121.00L of ARMC Barkurwa Distributary 0.00 to 41.00 RD चूँकि उपरोक्त दोनों वितरणियों सिवकी एवं बड़कुरवा का उदगम स्थल मुख्य नहर के RD 105.30 एवं 121.00 है जहाँ तक पानी पहुँचना, वनभूमि अपयोजन का कार्य अब तक पूरा नहीं होने के कारण इस वर्ष संभव नहीं है। अतः तत्काल इन दोनों वितरणियों के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जाये तथा I.R., Estimate, Design, Drawing Preparation की कार्रवाई की जाये पर निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध क्या उचित होगा इसकी समीक्षा की जाये एवं तदनुसार यदि उचित समझा जाये तो राशि के प्रत्यापर्ण का प्रस्ताव अगली बैठक के पूर्व दिया जाये।

(कार्रवाई – मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग मेदिनीनगर)

जल पथ प्रमंडल गढवा

इस प्रमंडल के अंतर्गत चल रहे पुनर्स्थापन कार्यों के लिये कुल 51.00 लाख का कार्यक्रम स्वीकृत है जिसकी विरुद्ध 40.00 लाख का आवंटन निर्गत किया गया था जो व्यय हो चुका है। तैयार किये गये प्राक्कलन के अनुसार कुल 243.00 लाख का कार्य पुनर्स्थापन मद में कराया जाना है।

अतः इन सभी कार्यों की समीक्षा कर एवं आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर यथावश्यक संशोधित कार्यक्रम एवं आवंटन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव दिया जाये।

(कार्रवाई – मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग मेदिनीनगर एवं मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, राँची)

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित योजनाओं के उद्घाटन उनके सामने लिखे समय तक करवाई हेतु भी आवश्यक तैयारी करने का निदेश मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर को दिया गया।

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------|
| (1) केहुनिया नाला अगुमेंटेशन योजना | – | जून 2013 |
| (2) बंटाने जलाशय योजना (डैम) | – | 2013 |
| (3) उत्तर कोयल बाँधी मुख्य नहर | – | जून 2013 |
| (4) अमानत मुख्य नहर | – | दिसम्बर 2013 |

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग मेदिनीनगर अपने परिक्षेत्र की समीक्षा बैठक जब अपने कार्यालय करेंगे तो इस कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ दिनांक – 06.07.2012 एवं दिनांक – 28.05.2012 को संपन्न बैठकों की कार्यवाही का अध्ययन कर एवं उनमें दिये गये निदेशों का पूर्ण अनुपालन भी सुनिश्चित करेंगे।

कार्रवाई पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव

पत्रांक :- / राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) एवं सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। (e-mail से)

ह०/-
(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव

पत्रांक :-

/ राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, 2 एवं 3 को सूचनार्थ प्रेषित।

हो/-
(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव

पत्रांक :-

/ राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वे अपने स्तर से इसकी एक प्रति विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी उत्तरी कोयल परियोजना मेदिनीनगर एवं पुनर्वास पदाधिकारी उत्तरी कोयल परियोजना मेदिनीनगर सहित सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

हो/-
(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव

पत्रांक :- 1065

/ राँची, दिनांक :- 17.09.2012

प्रतिलिपि :- वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव
